-14 फारम सं0-563

की क्रम संख्या तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	अभिलेख उपस्थापित।	
27/7/23	(1)सुरेश पासवान (2)भोला पासवान (3)जितेन्द्र पासवान तीनों के पिता स्व0 मधु पासवान (4)चंदन कुमार पासवान, पिता स्व0 कैलाश पासवान, ग्राम-झुमरा, पोस्ट-महेशरा, थाना-दारू, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-दारू, मौजा-झुमरा, थाना नं0-196, खाता संख्या-9, प्लॉट संख्या-1124, रकवा-03 डी0 भूमि गणेश राम, पिता कैलाश राम, ग्राम-झुमरा, पोस्ट-महेशरा, थाना-दारू, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदकों एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं खतियान की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-357/2023 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक-1984/रा0 दिनांक-08.06.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, दारू को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया। अंचल अधिकारी, दारू हजारीबाग के पत्रांक 394 दिनांक 21.07.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, दारू हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि - क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि आवेदकों को खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत् भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत केहरी दुसाध हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 5.25 एकड़ भूमि है। पंजी-II अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित रकवा 5.25 एकड़ है। पंजी-II के पृष्ठ संख्या-8/I पर मधु दुसाध के नाम से जमाबंदी दर्ज है। वर्ष 2022-23 तक लगान रसीद निर्गत् है। जमाबंदी रैयत आवेदक के परदादा है। आवेदकों द्वारा धारित कुल रकवा/आवेदकों के हिस्से की भूमि 1.05 एकड़ है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदकों के पास रकबा 5.22 एकड़ भूमि बचेगी। आवेदकों को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदकों के दखल कब्जा में है।	

E:\Rev Sec (sys-2)\CNT-46 Gyan Sir File\New Format CNT 46 Permission\Daru.doc 7

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
	प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है। अंचल अधिकारी, दारू हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, दारू हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में (1)सुरेश पासवान (2)भोला पासवान (3)जितेन्द्र पासवान तीनों के पिता स्व0 मधु पासवान (4)चंदन कुमार पासवान, पिता स्व0 कैलाश पासवान, ग्राम-झुमरा, पोस्ट-महेशरा, थाना-दारू, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-दारू, मौजा-झुमरा, थाना नं0-196, खाता संख्या-9, प्लॉट संख्या-1124, रकबा-03 डी0 भूमि गणेश राम, पिता कैलाश राम, ग्राम-झुमरा, पोस्ट-महेशरा, थाना-दारू, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। (हस्ताक्षर 2/7/23) अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। (हस्ताक्षर 2/7/23) अभिलेख उपस्थापित।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.07.28 16:01:48 +05:30
Location: 192.168.43.127